

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार वाष्ण्य, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 03/2018 (76 एल .आर. एक्ट)

उनवान

आनन्द कुमार उर्फ आनन्द प्रकाश उम्र करीब 45 साल जाति ठाकुर पुत्र कीरतराम निवासी ग्राम सिंघावली कला तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश न्यायालय अति० जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 26.10.2012 प्र.संख्या 47/2012 उनवानी आनन्द कुमार बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलांट श्री हरी सिंह बघेला उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय

दिनांक- 15.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति० जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 26.10.2012 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार राजाखेडा ने आराजी खसरा नंबर 2606 रकवा 07 किस्म गैर मुमकिन पोखर पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति० जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति० जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2012 से खारिज कर दी। जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा कोई

अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर के समक्ष विवादित आराजी पर भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ-पत्र भी पेश कर दिया। किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा माफ न करने एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। अपने विशेष कथन में अपीलान्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि गैर मुमकिन पोखर की भूमि है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है। अतः अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एवं शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों की जाँच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलान्ट का प्रमुखता से यह कथन रहा है कि उनके द्वारा भविष्य में विवादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा एवं अति० जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा सिविल जेल की सजा माफ नहीं की। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा में शपथ पत्र पेश कर विवादित भूमि में अपना भूलवश अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है एवं अपने विशेष कथन में निवेदन किया है कि उनके द्वारा अतिक्रमण हटाया जाकर भूमि खाली कर दी गई है एवं भविष्य में कभी कब्जा नहीं करूंगा। अतः अतिक्रमण ना होने का, अपील में कथन मान्य नहीं है। कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलान्ट अप्रार्थी दण्ड के दायित्व को नहीं टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर एक माह की सिविल जेल आदेश पारित किया है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील सम्यक रूप से खारिज की गयी है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं पाते हैं।

6. वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट की ओर से अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र एवं पुनः अतिक्रमण नहीं करने का परिवचन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई गई है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्देश्य, अतिक्रमी को निरूद्ध कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना ही है। अपीलाण्ट कब्जा हटाने का शपथ पत्र देना एवं पुनः अतिक्रमण नहीं करना कहता है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा को निर्देशित करना चाहेंगे कि सिविल जेल क्रियान्वयन के क्रम में गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट पुनः भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का परिवचन दिनांक 20.07.2018 तक प्रस्तुत कर देवें, तो एक माह की सिविल जेल सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा का क्रियान्वयन करें।
7. अतः अपील अपीलाण्ट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ़तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाये जावें।
8. निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनिल कुमार वार्ष्णेय)  
आर.ए.एस.  
भू प्रबंध अधिकारी पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official